न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : अभिषेक गोयल, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 566/2017 प्रार्थना पत्र

1. श्री केशुलाल पुत्र स्व0 भूरू गमेती आयु 50 वर्ष निवासी भूरी का भीलवाडा रत्नावतो की भागल (गांवगुडा) पेशा मजदूरी एवं काश्त तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
2. श्री किशनलाल पुत्र स्व0 भूरू गमेती आयु 50 वर्ष निवासी भूरी का भीलवाडा रत्नावतो की भागल (गांवगुडा) पेशा मजदूरी एवं काश्त तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रूपलाल पिता उदा जी खटीक आयु वयस्क निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा) पेशा मजदूरी एवं काश्त तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
2. श्री चम्पालाल पिता उदा जी खटीक आयु वयस्क निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा) तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
3. श्री प्रेमचन्द पिता उदा जी खटीक आयु वयस्क निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा) तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
4. श्री मनोहरलाल पिता उदा जी खटीक आयु वयस्क निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा) तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
5. श्री नाथूलाल पिता अमरा जी खटीक आयु वयस्क निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा) तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
6. श्री भूरसिंह पिता दलसिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा) तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
7. श्री किशनसिंह पिता रतनसिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा) तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
8. श्री कालूसिंह पिता नाथूसिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा) तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
9. श्री भंवरसिंह पिता केसरसिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा) तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
10. श्री तलवरसिंह पिता तेजसिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा) तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
11. श्री बालूसिंह पिता गंगासिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा) तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
12. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब खमनोर।

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 रा.टी.एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.</u>

उपस्थित : श्री फतहलाल बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

श्री सुरेश खटीक, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 5।

श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 6, 7, 8, 9 एवं 11।

: : <u>आदेश</u> : :

दिनांक :–24.02.2020

प्रार्थीगण की ओर से स्थाई निषेधाज्ञा का मूल वाद पेश करने के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसका इस आदेश के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थीगण की ओर से उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत इस आशय का पेश किया गया कि राजस्व ग्राम रत्नावतो की भागल, तहसील खमनोर की आराजी सं. 3007 रकबा 1–04 बीघा प्रार्थीगण के स्व0 पिता भुरू पिता भेरा भील (गमेती) को काश्त हेतु दिनांक 19.01.1975 को आंवटन कर उप जिलाधीश, उदयपुर द्वारा पट्टा प्रदान किया गया तबसे प्रार्थीगण के स्व0 पिता के कब्जे काश्त चला आ रहा है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थीगण काश्त कर रहे है। उक्त पट्टे के अनुशीलन मे राजस्व रेकर्ड मे अमल नही होने से वर्तमान मे उक्त आराजी जमाबन्दी संवत् 2069–72 के अनुसार आराजी सं. 3911/3007 रकबा 00–07–10 बीघा पर विपक्षी सं. 1 से 5 तक ने नाजायज अतिक्रमण कर आवासीय निर्माण करा लिया तथा मना किया तो लडाई–झगडा व शांति व्यवस्था भंग करने को तैयार हो गये बकाया रकबे पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होकर बाउण्डरी बनायी गयी जिसे विपक्षी सं. 6 से 11 तक ने जेसीबी मशीन द्वारा नष्ट करा दी। उक्त आराजी प्रार्थीगण के स्व पिता भूरू पिता भेरा गमेती को दिनांक 19.01.1975 को आवंटन होने से प्रार्थीगण वारीस होने से खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि ताफैसला वाद विपक्षीगणो के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमाई जावे कि विपक्षीगण प्रार्थीगण की गांव रत्नावतो की भागल गांवगुडा की आराजी सं. 3007 रकबा 1–04 बीघा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नही करे न अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा अप्रार्थी सं. 10 की तलबी हेतु समन पेश नही करने से अप्रार्थी सं. 10 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 5 ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्रो मे वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थीगण का किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है। प्रार्थीगण का उक्त वाद

ग्रस्त आराजीयात मे किसी प्रकार का स्वामित्व एवं आधिपत्य नही है तथा राजस्व रेकर्ड मे भी प्रार्थीगण का कोई नाम अंकित नही किया गया। सारे दस्तावेज फर्जी तैयार किये गये है। आराजी सं. 3911/3007 कुल रकबा 0–07–10 बीघा राजस्व रेकर्ड मे विपक्षी सं. 1 से 5 के नाम पर दर्ज होकर मालिक है जिस पर विपक्षी के पक्के मकान बने हुए है एवं प्रार्थीगण का उस पर कोई स्वामित्व एवं आधिपत्य नही है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार साहब खमनोर को रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट मे पर्चा मौका बनाया जिसमे तहसीलदार खमनोर ने अपनी रिपोर्ट मे आराजी सं. 3911/3007 कुल रकबा 0–07–10 बीघा विपक्षी सं. 1 से 5 के नाम पर राजस्व रेकर्ड में बताया गया। जिससे स्पष्ट है प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात मे कोई हक व अधिकार नही है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के पिता को किसी ने आवंटन नही की इस कारण प्रार्थीगण किसी प्रकार की घोषणा कराने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षी सं. 1 से 5 खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र का जवाब के साथ प्रति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 से 5 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि राजस्व ग्राम रत्नावतो की भागल तहसील खमनोर की आराजी सं. 3911/3007 रकबा 0–07–10 बीघा स्थित है। उक्त आराजी पर विपक्षी सं. 1 से 5 राजस्व रेकर्ड मे खातेदार होकर मालिक है तथा उक्त आराजी पर मकान होकर विगत 50 वर्षो से भी अधिक समय से विपक्षी सं. 1 से 5 अपने परिवार के साथ निवासरत है। जिसमे प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नही होने पर भी प्रार्थीगण अवैध रूप से उक्त आराजी मे बाधा अवरोध हस्तक्षेप दखलअंदाजी एवं उपयोग उपभोग मे अवरोध उत्पन्न कर रहे है इस बाबत् विपक्षी सं. 1 से 5 तक प्रार्थीगणो के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है। विपक्षी सं. 1 से 5 तक ने प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात मे आने से मना किया तो प्रार्थीगण लडाई झगडे पर उतारू हो गये। अत उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है। विपक्षी सं. 1 से 5 का प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु विपक्षी सं. 1 से 5 के पक्ष मे है अगर विपक्षी सं. 1 से 5 के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही फरमाई गई तो विपक्षी सं. 1 से 5 को ऐसी अशोधनीय क्षति होगी जिसका अंकन अर्थ मे कदापि संभव नही होगा। जबकि प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर कोई सारवान नुकसान होने वाला नही है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षी सं. 1 से 5 का प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं. 1 से 5 के पक्ष मे प्रार्थीगण के विरूद्ध मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावे कि प्रति प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी मे प्रार्थी प्रवेश नही करे अतिक्रमण नही करे एवं उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे न अन्य से करावे।

प्रार्थीगण की ओर से प्रति प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रति प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी स्वीकार है जो आराजी सं. 3007 रकबा 1–04 बीघा का टुकडा है जो विपक्षी सं. 1 से 5 के खाते अंकित बताया गया है उक्त रकबा विपक्षीगण के पास कहां से आया नही बताया गया है इसलिये विपक्षी सं. 1 से 5 तक के नाम का अंकन गलत होकर अस्वीकार है इन व्यक्तियो का नाजायज अतिक्रमण है। विवादित आराजी का उक्त नम्बर मूल नम्बर का ही भाग है जो प्रार्थीगण के पिता को आवंटन होकर पट्टा मिला जिसका राजस्व रेकर्ड मे अमल नही होने से विपक्षीगण ने फर्जी रेकर्ड बनाया है इसलिये अस्वीकार है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षी सं. 1 से 5 तक कोई अस्थाई आज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है इनका प्रति प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया कि विवादित आराजीयात 3911/3007 मूल नम्बर 3007 का ही भाग है। आराजी सं. 3007 जो प्रार्थीगण के पिता को आवंटन होकर राजस्व रेकार्ड मे अमल नही होने से अप्रार्थी सं. 1 से 5 ने फर्जी रेकर्ड बनाया तथा उक्त विवादित आराजीयात पर नाजायज अतिक्रमण कर आवासीय निर्माण कर लिया और अन्त मे निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि प्रार्थीगण के कब्जे मे दखलअंदाजी न करे।

अप्रार्थी सं. 1 से 5 के अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्को को अस्वीकार करते हुए दलील की कि वर्तमान मे आराजी सं. 3911/3007 कुल रकबा 00–07–10 बीघा मे अप्रार्थी सं. 1 से 5 के नाम पर दर्ज है तथा वे उस पर मकान बने होकर विगत 50 वर्षो से भी अधिक समय से निवास कर रहे है। और यह तर्क दिया कि जो आराजीयात सं. 3007 प्रार्थी को आंवटित हुई थी वह आराजीयात 3911/3007 के मौके/स्थान पर ही थी ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रार्थीगण द्वारा पेश नही किया गया है। और यह विशेष तर्क दिया कि भू. अ. निरीक्षक, कोशीवाडा द्वारा तहसीलदार खमनोर को भेजी गई रिपोर्ट मे भी प्रार्थी को आवंटित स्थान का ग्राम गांवगुडा मे आराजी सं. 4893 किस्म चरनोट मे होने का उल्लेख किया है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते हुए अप्रार्थीगण का प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रदान की जावे कि प्रार्थी आराजी सं. 3911/3007 मे दखलअंदाजी न करे, उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे।

अप्रार्थी सं. 6 से 9 एवं 11 के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने आवंटन पट्टे की फोटो प्रति पेश की है परन्तु आवंटन के पश्चात् कब्जा प्रार्थीगण को सुपुर्दगी हुई हो इस संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नही किया है और अंत मे निवेदन किया प्रार्थी न तो खातेदार है न ही उनका कब्जा है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं (1.) प्रथम दृष्टया मामला, (2.) सुविधा का संतुलन एवं (3.) अपूरणीय क्षति पर विचार किया जाना होता है।

उक्त विचाराधीन बिन्दुओ के संबंध मे न्यायालय का विवेचन व निष्कर्ष निम्नानुसार हैः–

(1.) <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात 3911/3007 राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थी सं. 1 से 5 के नाम पर दर्ज है। प्रार्थी की ओर से जो उप जिलाधीश, उदयपुर द्वारा जारी पट्टे की फोटो प्रति पेश की गई है उससे यह तो जाहिर होता है कि प्रार्थीगण को राजस्व गांव रत्नावतो की भागल मे आराजी सं. 3007 रकबा 1–04 बीघा भूमि का आवंटन पट्टा प्रदान किया गया था परन्तु प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर पेश नही हुआ है जिससे यह स्पष्ट हो कि विवादित आराजीयात 3911/3007 आवंटित पट्टे मे अंकित आराजी सं. 3007 का ही भाग हो। जहां तक कब्जे का प्रश्न है तो प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थी सं. 1 से 5 ने नाजायज अतिक्रमण कर आवासीय निर्माण कर लिया है लेकिन राजस्व रेकर्ड के अनुसार उक्त आराजीयात अप्रार्थी सं. 1 से 5 रिकार्डेड खातेदार है। और अप्रार्थी सं. 1 से 5 ने जो मौके के रंगीन फोटोग्राफ्स पेश किये है उसमे भी अप्रार्थी सं. 1 से 5 के मकान दिखाई देते है जिससे भी मौके पर अप्रार्थी सं. 1 से 5 का कब्जा दर्शित होता है। पत्रावली पर उपलब्ध भू.अ. नि., कोशीवाडा द्वारा तहसीलदार खमनोर को भेजी गई रिपोर्ट मे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण जिस स्थान को अपना आवंटित भूमि बताते है वो स्थान वर्तमान मे ग्राम गांवगुडा मे है जिसके आराजी सं. 4893 किस्म चरनोट दर्ज है और अतिक्रमण मुक्त है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मे प्रथम दृष्टया का यह बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध तथा प्रति प्रार्थना पत्र मे प्रथम दृष्टया का यह बिन्दु अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पक्ष मे विनिश्चित किया जाता है।

(2.) <u>सुविधा का सन्तुलन एवं (3.) अपूरणीय क्षति</u> :–उक्त दोनो ही बिन्दु मिले जुले तथ्यो से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है। चूंकि प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया का बिन्दु ही अपने पक्ष मे साबित नही कर पाये है। फिर भी अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर किसी भी दृष्टि से पाबन्द किया जाता है तो तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा अप्रार्थीगण को ही कारित होगी क्योकि वे अपने स्वामित्व, कब्जे, मालिकाना हक की संपत्ति का ही इच्छित उपयोग–उपभोग एवं निर्माण नही कर पायेगें। अतः उपरोक्तनुसार सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के दोनो ही बिन्दु मे प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष मे विनिश्चित किये जाते है।

चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति सहित तीनो ही बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहा है। लिहाजा प्रार्थी का यह

प्रार्थना पत्र अस्वीकार एवं अप्रार्थी सं. 1 से 5 का प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य पाया गया है।

आदेश

परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं सपठित धारा आ0 39 नि0 1 व 2 तथा 151 जा.दी. **अस्वीकार कर खारिज** किया जाता है एवं अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर से प्रस्तुत प्रति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं सपठित धारा आ0 39 नि0 1 व 2 तथा 151 जा.दी. **स्वीकार किया जाकर** इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रार्थीगण राजस्व ग्राम रत्नावतो की भागल, तहसील खमनोर की आराजी सं. 3911/3007 रकबा 0–07–10 बीघा कृषि भूमि मे अप्रार्थी सं. 1 से 5 के उपयोग–उपभोग मे किसी भी प्रकार की बाधा एवं अवरोध उत्पन्न नही करे। उपरोक्त मंतव्य का मूल वाद के विवेचन पर कोई विपरीत प्रभाव नही समझा जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

यह आदेश आज दिनांक **24.02.2020** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2020.03.03 15:38:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: